मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 21 जुलाई,1997 (आषाढ़ 30,1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल गौर, कंकर मुंजारे, सदस्य, रीवा जिले में स्थित जे.पी.सीमेंट फेक्ट्री मालिकों द्वारा विद्युत चोरी किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, गोपाल परमार, नेमीचन्द जैन, सदस्य, शाजापुर जिले के बेरछा मण्डी थाने में एक व्यक्ति के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, दिनांक 3 मार्च,1997 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्रमांक 5349) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 21 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 23 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा — (3) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 22सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. प्रतिवेदनों पर चर्चा

1 घन्टा — (1) राजगढ़ जिले के छुआड़ल्या में दिनांक 9 जून, 1994 को घटित घटना तथा पुलिस कार्यवाही प्रतिवेदन पर चर्चा.

2 घन्टे — (2) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 तथा लोक आयुक्त संगठन का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 व्याख्यात्मक ज्ञापन पर चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 1997

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा